रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20052020-219455
CG-DL-E-20052020-219455

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230] नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2020/वैशाख 30, 1942
No. 230] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2020/VAISAKHA 30, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2020

आय-कर

सा.का.नि. 304(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 92गक की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (नौवां संशोधन) नियम, 2020 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होंगे और प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में,--

(i) नियम 10नघ के उपनियम (3क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(3ख) उपनियम (1) और उपनियम (2क) के उपबंध निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए लागू होंगे।";

(ii) नियम 10नङ के उपनियम (2) में तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि इस उपनियम में की कोई बात नियम 10नघ के उपनियम (3ख) में विधिमान्य रूप से प्रयुक्त सुरक्षित संश्रय के विकल्प को लागू नहीं होगी ।"; और

(iii) परिशिष्ट 2 के प्ररूप सं0 3गङचक के शीर्षक में, कोष्ठकों में "नियम 10" शब्द और अंक के स्थान पर, "नियम 10नङ" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

[अधि. सं. 25/2020 फा.सं. 370142/14/2020-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव (कर नीति और विधायन)

स्पष्टीकारक ज्ञापन : यह स्पष्ट किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 282(अ) तारीख 06 मई, 2020 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था ।